राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– प.4(1)(2)/विविध/अभि/19/10949–91 जयपुर, दिनांक : 01.10.2020

परिपत्र

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील संख्या 1485/2008, गुजरात राज्य बनाम किशन भाई व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2014 की अनुपालना में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.07.2020 में यह ध्यान में लाया गया कि कई बार राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारीगण सुनवाई के दौरान न्यायालय में अनुपस्थित रहते हैं जिसके कारण प्रकरण में अभियोजन पक्ष की कमजोरी रह जाती है और अभियोजन पक्ष की पैरवी कमजोर पड़ने से प्रकरण में मुलजिम/अभियुक्त बरी हो जाते हैं।

अतः समस्त अभियोजन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय समय के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें तथा अभियोजन के प्रत्येक स्तर पर मामले की पुरजोर पैरवी करे। इस संबंध में पूर्व में भी निदेशालय के परिपत्र क्रमांक स.3(16)स्था/विविध/अभि/99/1872–904 दिनांक 25.03.2000 जारी कर समस्त सहायक निदेशक अभियोजनगण को अभियोजन अधिकारियों की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया हुआ है। अतः परिपत्र को गंभीरता से लेवे। इस संबंध में कोई भी लापरवाही पाई जाने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

01-10-20

(राजेन्द्र कुमार सैनी)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर को पालनार्थ।

01-10-20

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर